

## नागरिक अधिकार पत्र

### रीको का नागरिक चार्टर

#### विभागीय उद्देश्य:

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) वर्ष 1969 से ही अपने उद्देश्यानुसार राज्य में औद्योगीकरण की गति को तीव्र से तीव्रतर बनाने के लिए सतत् रूप से प्रयत्नशील है । निगम औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है एवं उनकी आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी करता है साथ ही लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सूचनाएं/सेवाएं प्रदान करता है । निगम राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार राज्य में औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भी तत्पर है ।

#### औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के संबंध में विवरण

- भूमि उपलब्धता के विषय में जानकारी संबंधित इकाई कार्यालयों में सूचना पट्ट पर निरन्तर उपलब्ध रहती है ।
- औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आवंटन हेतु उद्यमियों को रीको के निर्धारित रीको भू-निपटान नियम, 1979 (रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979) के अनुसार संबंधित इकाई कार्यालय को आवेदन करना होता है । रीको भू-निपटान नियम - 1979 की प्रति मय आवेदन पत्र 100/- रूपये की कीमत पर रीको के इकाई कार्यालयों में उपलब्ध है।
- उद्यमी को आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि, जो कि विकास शुल्क की राशि का 1 प्रतिशत, कम से कम रूपये 2500/- एवं 25 प्रतिशत विकास शुल्क की राशि देना आवश्यक है । 100 प्रतिशत विकास शुल्क की राशि एक मुश्त भुगतान पर नियमानुसार रियायत देने का प्रावधान है ।

- असंतृप्त औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्ड आवंटन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर करने की निर्धारित नीति है एवं आवंटन भूमि की उपलब्धता होने पर जहाँ तक संभव हो उसी दिन अथवा अधिकतम 15 दिवस के अन्दर भूखण्ड का आवंटन कर दिया जाता है ।
- आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों की सूची इकाई कार्यालयों में उपलब्ध सूचना पट्ट व निगम की वेबसाईट पर दर्शित की जाती है ।
- औद्योगिक क्षेत्र में बेचने योग्य औद्योगिक भूमि का 90 प्रतिशत आवंटन के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र “संतृप्त औद्योगिक क्षेत्र” घोषित किया जाता है एवं रिक्त भूखण्डों का आवंटन नीलामी के द्वारा किया जाता है ।
- आवंटन के पश्चात् लीजडीड निष्पादित होने पर आवंटनकर्ता के सभी अधिकार लीजडीड की शर्तों के अनुसार होते हैं ।

### वित्त हेतु विभिन्न योजनाएँ :

निगम ऋण प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित करता है:—

- सावधि ऋण योजना
- इक्यूपमेंट रिफाइनेन्स/फाइनेन्स स्कीम
- कार्यशील पूंजी हेतु ऋण योजना
- फ्लेक्सी ऋण योजना
- मल्टीपरपज ऋण योजना
- रियल एस्टेट/बिल्डर्स हेतु ऋण योजना

उक्त ऋण योजनाओं हेतु प्रवर्तक को निगम द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में जो कि निगम मुख्यालय में स्थित पब्लिकेशन काउन्टर पर 100/- रूपये का भुगतान किये जाने पर प्राप्त किया जा सकता है, प्रोसिसिंग चार्ज जो चाहे गये ऋण का 0.1 प्रतिशत होते हैं, के साथ निगम में आवेदन करना होता है । आवेदनकर्ता द्वारा समस्त संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने व परियोजना की सार्थकता (वाइबिलिटी) सिद्ध होने पर ऋण नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है ।

**आवेदन कहां करें ? निस्तारण समय एवं आवेदन प्रपत्र:**

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पर्क/आवेदन हेतु कार्यालय	निर्धारित/संपादित निस्तारण समय	विशेष विवरण
----------	--------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------

**(अ) औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के संबंध में**

1.	भूखण्ड आवंटन हेतु	निर्धारित प्रपत्र में संबंधित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/ वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय	15 दिवस	—
2.	लीजडीड निष्पादन हेतु	लीजडीड के लिए निर्धारित प्रपत्र में भरकर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय	3 दिवस	उप रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा लीजडीड का पंजीयन किया जाता है ।
3.	ऋण प्राप्त करने के लिये लीजडीड वित्तीय संस्थान को प्रेषित करने हेतु	उपरोक्त कार्यालय में आवेदन	3 दिवस	—
4.	संविधान में परिवर्तन/ पार्टनरशीप इत्यादि में परिवर्तन के लिये	उपरोक्त कार्यालय में आवेदन	7 दिवस	निगम के नियमों/प्रचलित नीति के अध्याधीन ।
5.	निर्धारित अवधि से अधिक समय अवधि बढ़ाने के लिये, जैसे लीजडीड के निष्पादन/ निर्माण कार्य एवं उत्पादन के लिये	उपरोक्तानुसार	7 दिवस	उपरोक्तानुसार

(ब) ऋण योजनाओं के संबंध में

6.	वित्त हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी	प्रकोष्ठ प्रभारी, अप्रैजल प्रकोष्ठ, मुख्यालय	तत्काल	अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर मौखिक जानकारी व उपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया जा सकता है।
7.	निगम की विभिन्न ऋण योजनाओं के आवेदन पत्र	पब्लिकेशन काउन्टर, मुख्यालय	तत्काल	अभ्यर्थी द्वारा डाक या स्वयं उपस्थित होकर 100/- रुपये का रीको को भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है।
8.	ऋण आवेदन पर दृष्टिकोण प्रस्तुति	प्रकोष्ठ प्रभारी, अप्रैजल प्रकोष्ठ, मुख्यालय	ऋण राशि के 0.1 प्रतिशत प्रोसिसिंग चार्ज के साथ आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर प्रारम्भिक प्रोजेक्ट क्लीयरेंस कमेटी के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति अथवा असहमति अथवा असहमति की सूचना।	अभ्यर्थी को परियोजना स्वीकृति समिति में सूचित किया जाता है।
9.	ऋण स्वीकृति (प्रोजेक्ट टर्म लोन)	अतिरिक्त महाप्रबन्धक (अप्रैजल), मुख्यालय	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर	स्वीकृत राशि का 0.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज जमा कराने के पश्चात् तत्काल स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाता है।
10.	इक्यूपमेंट रिफाइनेन्स, फाइनेन्स स्कीम, कार्यशील पूंजी, फ्लेक्सी ऋण, मल्टीपरपज ऋण की स्वीकृति	अतिरिक्त महाप्रबन्धक, अप्रैजल प्रकोष्ठ, मुख्यालय	ऋण राशि के 0.1 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्ज के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर समस्त संबंधित दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त तीव्र गति से ऋण स्वीकृत किया जा सकता	—

			है ।	
11.	निगम द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली हेतु विभिन्न योजनायें दिशा-निर्देशों की जानकारी	नियंत्रक अधिकारी/प्रकोष्ठ प्रभारी (एफ.एण्डआर. प्रकोष्ठ), मुख्यालय	तत्काल	अभ्यर्थी द्वारा उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।
12.	ऋण का पुनर्सारणीकरण	नियंत्रक अधिकारी/प्रकोष्ठ प्रभारी (एफ.एण्डआर. प्रकोष्ठ), मुख्यालय	30 दिवस	गुणावगुण के आधार पर पुनर्सारणीकरण स्वीकृति/ अस्वीकृति संबंधी निर्णय लिया जाता है ।
13.	ऋण का एक मुश्त निपटारा	नियंत्रक अधिकारी/प्रकोष्ठ प्रभारी (एफ.एण्डआर. प्रकोष्ठ), मुख्यालय	45 दिन	कुल बकाया का 2 प्रतिशत ऋणी द्वारा निगम में जमा कराने के पश्चात् राज्य स्तरीय समझौता समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

### शिकायत कहाँ की जाये :

क्र. सं.	कार्य	शिकायत करने हेतु संबंधित अधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय
----------	-------	--

### (अ) औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के संबंध में

1.	भूमि आवंटन से संबंधित शिकायत	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
2.	विकास कार्यों से संबंधित शिकायत	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
3.	संबंधित वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत	सलाहकार (इन्फ्रा), रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

(ब) ऋण योजनाओं के संबंध में

4.	ऋण स्वीकृति में देरी	अतिरिक्त महाप्रबन्धक (अप्रेजल), रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
5.	ऋण वसूली से संबंधित समस्या	मुख्य महाप्रबन्धक, रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

शिकायत या समस्या का निवारण उपरोक्तानुसार अंकित कार्यालय द्वारा 15 दिन में न होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, रीको मुख्यालय, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है ।